

18.2-19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज किये बिना एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त खातेदार हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 2019/89 में पारित अपीलाधीन दिनांक 5.2.2019 की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।



हमने प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टिया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 2019/89 में पारित अपीलाधीन दिनांक 5.2.2019 की पालना व प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। उक्त अनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय  
जोधपुर

जोधपुर जिला न्यायालय

18/2/18

(ललित कुमार गुप्ता)  
डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

क्रमांक कोर्ट/DC(19/187-188

दिनांक 19.02.2019

प्रतिवेदी:- ① अखिल भारतीय न्यायालय को उपरोक्त अनुसार

पालना व प्रभाव है।

दृष्टी

② तहरीर नं. 412, जोधपुर

आज्ञा है

रीडर

डिवीजनल कमिश्नर